# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

## आदेश

सं०सं०–15/औ०–42–10/2021–............../स्वा०,पटना,दिनांक –...............2026

श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा मेसर्स इंदिरा मेमोरियल नर्सिंग होम, शिवाजी नगर, दरभंगा को औषधि विक्रय संस्थान को अनुचित समर्थन देने, अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण अनुज्ञप्ति निर्गमन तिथि से प्रभावी करने एवं श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यकारी राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी कोषांग, लोकायुक्त कार्यालय को असत्य प्रतिवेदन भेजने का उल्लेख करते हुए दिनांक–03.12.2025, दिनांक–03.09.2025 एवं दिनांक–04.09.2025 को विभाग में आवेदन/अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

2. श्रीमती लता खेतान, पति–श्री राम बावू खेतान द्वारा फार्मासिस्ट का फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया था। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक, दरभंगा द्वारा पत्रांक–28, दिनांक–20.01.2022 द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए Drugs and Cosmetic Act की धारा–27(d) एवं (a) के अन्तर्गत स्वत्वाधिकारी के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है।

3. स्वत्वाधिकारी श्रीमती लता खेतान द्वारा उक्त औषधि प्रतिष्ठान के अनुज्ञप्ति रद्दीकरण हेतु सहायक औषधि नियंत्रक, दरभंगा के कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के विरूद्ध अपील हेतु विभाग में अपीलवाद संख्या–06/2022 दायर किया गया था, जिस पर अपीलीय प्राधिकार –सह– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए उक्त अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

4. इस प्रकार मेसर्स इंदिरा मेमोरियल नर्सिंग होम, शिवाजी नगर, दरभंगा के औषधि विक्रय संस्थान का अनुज्ञप्ति दिनांक–20.01.2022 की तिथि से रद्द कर उस पर विधि सम्मत् कार्रवाई की जा चुकी है।

5. अतएव श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा विभाग में दिनांक–03.12.2025, दिनांक–03.09.2025 एवं दिनांक–04.09.2025 को समर्पित सभी आवेदन/अभ्यावेदन में किये गये अनुरोध को एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :15/औ०–42–10/2021–202(159)/स्वा०,पटना,दिनांक–18/03/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उनके वर्तमान पत्ता–संतोषा कॉम्पलेक्स, 305, बंदर बगीचा, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।